एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -21/2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः जून 24, 2021

विषयः- रिट याचिका संख्या-156/2016 महेन्द्र चावला बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018, का व्यापक प्रचार-प्रसार थाना स्तर पर किये जाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश ।

प्रिय महोदय/महोदया,

रिट याचिका संख्या-156/2016 महेन्द्र चावला बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018, के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से समय-समय पर विस्तृत शासनादेश तथा इस मुख्यालय स्तर से परिपत्र निर्गत किये गये हैं, जिनका उल्लेख पार्श्वांकित बाक्स में किया गया है ।

शासनादेश सं0 - 307/छः-पु0-9-19-31(16)/2019 दि0 22.02.19
शासनादेश सं0 - 3032(2)/छः-पु0-9-31(122)/2019 दि0 11.10. 19
अर्द्ध0शा0 पत्र सं0-2490/ छः-पु0-9-19-31(16)/2019 दि0 27.08. 19
पत्र सं0 - 3415/छः-पु0-9-20-31(16)/2019 दि0 14.12. 19
कार्यालय ज्ञाप सं0-2359/ छः-पु0-9-19-31(16)/2019 दि0 28.07. 19
डीजी-परिपत्र सं0 - 15/2019 दि0 04.04. 19
पत्र सं0 - डीजी-सात-एस-14(1)2019 दि0 14.12.2020

उपरोक्त के क्रम में क्रिमिनल मिस0 बेल प्रार्थना पत्र संख्या-20591/2021 रविन्द्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 06.07.2021 में साक्षी सुरक्षा योजना 2018, का व्यापक प्रचार प्रसार करने और योजना की जानकारी प्रत्येक थाना स्तर तक पहुंचाने के लिये योजनाबद्ध प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन ने पत्र संख्याः2309-छः-पु0-9-21-31(16)/2019 दिनांकित 18.06.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** साक्षी सुरक्षा योजना-2018 के प्रचार प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। उ0प्र0 शासन द्वारा निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 को भी साक्षी सुरक्षा योजना-2018 का वृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश अपने पत्र संख्याः2308-छः-पु0-9-21-31(16)/2019 दिनांकित 18.06.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा निर्गत किये गये है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलहाबाद तथा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में साक्षी सुरक्षा योजना के प्रति जागरुकता बढाने, योजना की जानकारी प्रत्येक थाने तक पहुंचाने तथा पुलिस कर्मियों को साक्षी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं -

- साक्षी सुरक्षा योजना के प्राविधानों के प्रति जागरुकता बढाने तथा फील्ड स्तर पर पुलिस कर्मियों को साक्षी सुरक्षा योजना के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों को नोडल अधिकारी के रूप में दायित्व दिया जाता है ।
- अपर पुलिस महानिदेशक अपने जोन के प्रत्येक जनपद में साक्षी सुरक्षा योजना 2018, के प्राविधान एवं अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से परिचित कराने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे । इस कार्यशाला का एक सत्र जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा सम्बोधित किया जायेगा ।

- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक तथा जनपदीय पुलिस अधीक्षक अपने परिक्षेत्र/जनपद में साक्षी सुरक्षा योजना 2018, के प्रचार प्रसार हेतु सतत् प्रयास करेंगे । जनपद स्तर पर साक्षी सुरक्षा योजना 2018, के प्रचार प्रसार हेतु आयोजित कार्यशाला में परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक तथा जनपदीय पुलिस अधीक्षक मौजूद रहेंगे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोडकर, कार्यशाला में परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक अथवा जनपदीय पुलिस अधीक्षक में से कोई एक अधिकारी अवश्य भाग लेंगे।
- इस प्रकार आयोजित की जाने वाली कार्यशाला में जनपद के प्रभारी निरीक्षकों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। विधिक बिन्दुओं पर चर्चा हेतु अभियोजन संवर्ग से संयुक्त निदेशक अभियोजन अथवा एस.पी.ओ. स्तर के अधिकारी को कार्यशाला में प्रतिभाग हेतु विधिवत आमंत्रित किया जायेगा ।
- प्रत्येक थाने में एक नोटिस बोर्ड लगाया जायेगा, जिसमें साक्षी सुरक्षा योजना 2018, के अन्तर्गत सुरक्षा हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया तथा सम्बन्धित अधिकारियों का दूरभाष नम्बर बडे अक्षरों में अंकित किया जायेगा, जिससे थाने में आने वाले पीड़ित एवं जनसाधारण व्यक्ति योजना के प्राविधानों से परिचित हो सकें और योजना का लाभ प्राप्त कर सकें ।
- प्रत्येक थाने में ड्यूटी ब्रीफिंग के समय प्रभारी निरीक्षक या प्रभारी द्वारा साक्षी सुरक्षा योजना 2018, के मुख्य प्राविधानों को थाने के समस्त कार्मिकों को पढ़कर सुनाया जायेगा तथा इसका उल्लेख जनरल डायरी में भी किया जायेगा, जब तक कि यह सभी कर्मियों को विदित न हो जाये।
- साक्षी सुरक्षा योजना 2018, को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु उ0प्र0 शासन तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की ओर से जो शासनादेश एवं परिपत्र निर्गत किये गये हैं, उनका कडाई से अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी सतत् समीक्षा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा की जायेगी ।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, जिन जनपदों से साक्षी सुरक्षा योजना 2018, लागू करने में शिथिलता के प्रकरण संज्ञान में आयेंगे, उन जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने तथा उनके वार्षिक मूल्यांकन में प्रतिकूल टिप्पणी करने पर भी विचार किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन की प्रगति से प्रत्येक माह आख्या अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को भी प्रेषित करें।

भवदीय,

24.6.21

(एच0सी0 अवस्थी)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 ।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0 ।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,उ0प्र0।